

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
भू-अर्जन निदेशालय  
अधिघोषणा


पटना, दिनांक-

संख्या..... डी0 एल0 ए0 प0 चम्पारण चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-बलुआ रमपुरवा, परगना- मंझौआ, थाना-बेतिया (बैरिया), जिला प0 चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात्- ग्राम- बलुआ रमपुरवा में सम्पर्क पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपयुक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- बलुआ रमपुरवा नं0 118 के भीतर कमोवेश 0 बीघा 04 कठठा 10 धुर जो मानक माप से 0.07500 एकड़ के बराबर होता है एक भू-खण्ड अपेक्षित है, जिसका अंश खेसरा संख्या- 2028, 2029 एवं 2030 है, तथा इस भूखण्ड की चौहदी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- अंश खेसरा नं0- 2028, 2029 एवं 2030।  
दक्षिण :- पूर्ण खेसरा नं0- 2586।  
पूरब :- पूर्ण खेसरा नं0- 2032।  
पश्चिम :- पूर्ण खेसरा नं0- 2587 (रास्ता)।

यह घोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1-1894 की धारा 6 एवं भू-अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

  
समाहर्ता  
प0 चम्पारण, बेतिया।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के आसचिव

- ज्ञापानंक-2603/रा/ डी0एल0ए0 प0 चम्पारण, पटना, दिनांक 13/11/2013
- प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक सामचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को जिला गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोंपरान्त 10 प्रतियों जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के आसचिव